


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

आवारा फाईनेन्सर्स लि. बनाम भीकाराम गर्ग व अन्य

प्रकरण संख्या : 178/2024 (धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
17.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अयलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सारफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत बंधक सम्पत्ति के दरतावेज एवं प्रार्थना पत्र में अंकित बंधक सम्पत्ति में गिन्नाता है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाय पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p> जिला मजिस्ट्रेट (आवारा) जयपुर (ग्रामीण)</p>	